पत्रांक–7 / स्था0–1–4–04 / 2011सा0प्र0....2092....../

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

स्पीड पोस्ट

प्रेषक,

शिव महादेव प्रसाद,
सरकार के अवर सचिव।

सेवा में,

अविनाश कुमार, अधिवक्ता (रौल नं0–106876),
पिता–श्री हरिकेश्वर प्रसाद,
175 A, लक्ष्मी भवन, राजीव नगर, रोड नं0–23,
इनफ्रंट ऑफ शिवी कम्युनिटी हॉल,
पटना, पिन–800024,

पटना–15, दिनांक 12.2.18.....

विषयः– 29वीं न्यायिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि) के पद पर नियुक्ति हेतु बिहार लोक सेवा आयोग की अनुशंसा के आलोक में शैक्षणिक योग्यता संबंधी एवं अन्य प्रमाण पत्रों की जाँच के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के पत्रांक–8 / वि0प्र0–02–06 / 2011 (199) लो0से0आ0 / गो0 दिनांक 24.11.2017 द्वारा विज्ञापन संख्या–01 / 2016 के अन्तर्गत 29वीं न्यायिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि) के पद पर नियुक्ति हेतु अनुशंसा की कंडिका–7 (ख) में दिये गये निहित शर्त्त के आलोक में विभागीय पत्रांक–15772 दिनांक 11.12.2017 द्वारा सचिव, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली तथा विभागीय पत्रांक–02 दिनांक 01.01.2018 द्वारा सचिव, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालय के पतों पर भी अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (04) कोटि की अनुशंसा सूची के क्र0सं0–5 पर अंकित अनुक्रमांक–106876 द्वारा समर्पित मैट्रिक प्रमाण पत्र, जो National Open School (Gvot. of India) द्वारा निर्गत की वैधता की जाँच कर प्रतिवेदन की माँग की गयी। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालीय शिक्षा संस्थान (स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, मा0स0वि0मं0, भारत सरकार के अन्तर्गत एक स्वायत्त संस्था), नोएडा (उ0प्र0) के पत्रांक–F-7-103/2018/NIOS/Eval/Mandm/01-30 दिनांक 08.01.2018 द्वारा प्रमाण पत्र का सत्यापन प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है, जिसमें आपके प्रमाण पत्र की वैधता की संपुष्टि की गयी है।

अतः अनुरोध है कि शैक्षणिक योग्यता संबंधी एवं अन्य प्रमाण पत्रों की जाँच हेतु निम्नांकित अभिलेखों एवं प्रमाण पत्रों के साथ निम्नांकित तिथि / समय एवं स्थान पर उपस्थित होने का कष्ट करें, अन्यथा निर्धारित तिथि एवं समय पर वांछित अभिलेखों के साथ उपस्थित नहीं होने की स्थिति में आपके अभ्यर्थित्व (Candidature) को रद्द करने की कार्रवाई की जायेगी।

1. मैट्रिक का मूल प्रमाण पत्र।
2. इन्टरमिडिएट का मूल प्रमाण पत्र।
3. स्नातक / स्नातक (प्रतिष्ठा) का मूल प्रमाण पत्र।
4. विधि स्नातक का मूल प्रमाण पत्र।
5. आयोग द्वारा निर्गत मूल परीक्षा–प्रवेश पत्र।

6. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए सक्षम स्तर (यथा आयोग के विज्ञापन में अंकित) द्वारा निर्गत आवास/जाति का मूल प्रमाण पत्र।
7. दहेज नहीं लेने एवं देने संबंधी शपथ पत्र (Affidavit)।
8. उपर्युक्त सभी प्रमाण पत्रों की दो–दो स्पष्ट पठनीय एवं अभिप्रमाणित छायाप्रतियाँ।
9. पासपोर्ट साइज का दो फोटो।
10. सरकारी सेवा/अन्य सेवा में कार्यरत् सफल/अनुशंसित उम्मीदवार अपने विभाग/कार्यालय से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) के साथ उपस्थित होंगे।
11. पूर्ण रूप से भरा हुआ चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन प्रपत्र (संलग्न)।

क्र0 सं0	दिनांक	समय	स्थान	अभ्युक्ति
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	26.02.2018	10.30 बजे पूर्वाह्न से	श्री राजेन्द्र राम, अपर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना	

12. प्रमाण पत्रों की जाँच हेतु उपस्थित होने के लिए मार्ग व्यय एवं अन्य कोई भत्ता देय नहीं होगा।

अनुलग्नकः–यथा उपर्युक्त।

विश्वासभाजन
12.2.18
(शिव महादेव प्रसाद)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–7/स्था0–1–4–04/2011सा0प्र0 2092 /पटना–15, दिनांक 12.2.18

प्रतिलिपिः–सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना को उनके पत्रांक–8/वि0प्र0–02–06/2011 (199) लो0से0आ0/गो0 दिनांक 24.11.2017 के प्रसंग में सत्यापन प्रतिवेदन एवं पत्र की प्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ तथा आई0टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाइट पर सूचना देने हेतु प्रेषित।

12.2.18
सरकार के अवर सचिव।